

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/निकाशि/छात्रसंघ चुनाव/2019/338

दिनांक: 19 अगस्त, 2019


प्राचार्य,  
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,  
राजस्थान।

विषय: छात्रसंघ चुनाव 2019 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत छात्रसंघ चुनाव 2019 के संबंध में कुछ महाविद्यालयों द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार है -

1. यदि विद्यार्थी किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में (पूर्वाद्ध) अनुत्तीर्ण होने के बावत किसी दूसरे विषय की पूर्वाद्ध कक्षा में प्रवेश लेकर छात्रसंघ चुनाव में भाग लेना चाहता है तो उसके खाते में कोई Academic Arrear बकाया नहीं होगा, ऐसे विद्यार्थी को छात्रसंघ चुनाव में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता। (संदर्भ पत्र क्रमांक- एफ 7(4)अकाद/निकाशि/छात्रसंघ चुनाव/2012/III/109 दिनांक 4.08.2014)
2. विद्यार्थी को अपने संपूर्ण महाविद्यालय अध्ययन काल में छात्रसंघ पदाधिकारी हेतु एक बार उम्मीदवार बनने का अवसर होगा चाहे उसने एक से अधिक महाविद्यालयों में अध्ययन किया हो। (संदर्भ पत्र क्रमांक- एफ 7(4)अकाद/निकाशि/छात्रसंघ चुनाव/2012/III/109 दिनांक 14.08.2014)


  
19-8-19

संयुक्त निदेशक(अकादमिक)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
दिनांक: 19 अगस्त, 2019

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/निकाशि/छात्रसंघ चुनाव/2019/338

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ/पालनार्थ

1. वेब प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

  
19-8-19

संयुक्त निदेशक(अकादमिक)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर